मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ 814 /1021 /2015/ भोपाल दिनांक 20 मई 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

विषय :— राज्य शासन की ओर से उपक्रम/निगम मंडलों आदि में मनोनीत संचालक द्वारा निगम, मण्डल आदि से यात्रा व्यय प्राप्त करना।

.....

यह ज्ञात हुआ है कि राज्य शासन के अन्तर्गत गठित निगम, मण्डल,कम्पनी आदि में राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत संचालक द्वारा संपादित जनहित की यात्राओं के लिये यात्रा व्यय यथा, यात्रा किराया, स्थानीय परिवहन, हॉटल का किराया आदि उपक्रम, निगम, मण्डल आदि से प्राप्त किया जा रहा है।

2. लेखा संहिता के अन्तर्गत व्ययों के वर्गीकरण के सिद्वान्त के अनुसार यात्रा व्यय इसी व्यय शीर्ष में विकलित किया जाता है जिस शीर्ष से वेतन आहरित होता है।

3. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत संचालकों को उनकी जन—हित में की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा व्यय उसी कार्यालय से प्राप्त किया जाना चाहिये जिस कार्यालय से उनके वेतन आहरित होते है। अतः यदि किसी भी निगम, मण्डल आदि द्वारा उपरोक्त सिद्वान्त के विपरीत ऐसे किसी संचालक के यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है तब यह अनियमितता की श्रेणी में होगा तथा संबंधित संस्थान के प्रमुख कार्यकारी इसके लिये उत्तरदायी होगें।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अधीनस्थ संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

20.5.2015

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग,